

29/10/20

पत्रावली पेशा हुई। वकील उन्नतपक्ष उपस्थित
आये। वकील अपीलान्त व अपीलान्त द्वारा एक पक्षीय
पत्र पेश किया गया। जिसमें अपीलान्त द्वारा अंकन
किया गया कि रैस्पॉन्डेंट से पार्थी का रखीनामा हो
जाने के कारण अपीलान्त अपनी अपील को भागे चलाना
नहीं चाहती है। व वापिस लेना (विड्रो) करना चाहती है।
अब अपील अपीलान्त का रैस्पॉन्डेंट से रखीनामा
होने के कारण अपील इसी स्तर पर विड्रो की जाती है।
निर्णय सुने - पापलपत्र सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसला
सुनाएँ और तस्वीर तस्वीर देखकर दाखिल 4 फ़ैसल है। 3

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सुरतगढ़ (श्री गंगानगर)